

2025/809

FORM NO.111


फर्द अहकाम

(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)  
तहसीलदार श्रीमाधोपुर बनाम पटवारी झाड़ाडाडी

किस्म मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता मुकदमा नम्बर- 400/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की कार्रवाई में जारी हुई
30-12-25	<p>राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक "ग्रामीण सेवा शिविर" का आयोजन किया गया था। जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित संपादित किये जाने वाले कार्यों में "रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण" का कार्य श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (गुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिवत्र पत्रांक प0 19(7) राज-5/सम/2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में विभिन्न ग्राम पंचायतों में खातेदारी कृषि भूमियों में कदीमी रूप से चले आ रहे प्रचलित रास्ते (जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रहे हैं) को राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता के रूप में दर्ज कराने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव लिये जाकर शिविर के दौरान नौके पर प्रचलित रास्तों के प्रस्ताव तैयार करवाये गये थे। जिनको तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 31.06 /भूअ./2025 दिनांक 20.11.2025 के द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम झाड़ी पटवारी हल्का झाड़ी के कृषि भूमि खरारा नम्बर 7553/3348, 7599/3436 रकबा क्रमांक:- 0.0068, 0.0216 हे०</p> <p>..... में से जा रहे प्रचलित चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात नकल जगावन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, फर्द नौका रिपोर्ट जिस पर कुछ खातेदारान् के सहमति बतौर हस्ताक्षरित संबंधित खातेदारान में से, फर्द नौका रिपोर्ट पटवारी हल्का झाड़ी को तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अभिशंषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेश हुई। विविध प्रार्थना पत्र</p>	



उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

30-12-25

प्रचलित रास्ता न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से प्रकरण को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त पत्रावली मय दरतावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के तहत भिजवाये गये प्रस्ताव को "ग्रामीण सेवा शिविर" -2025 के तहत ग्राम पंचायत ...झाड़की.....में प्राप्त प्रकरण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय आदेश मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्णय प्रति एवं संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर आदेश दिये जाते हैं कि उक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्ताकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जावें एवं नक्शों में उक्तानुसार तरमीम की जावें। गैर मुमकीन रास्तों की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खातें ही रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस इस आदेश के भाग रहेगें। उक्त प्रचलित रास्ता में अंकित खसरा नम्बरान् पर यदि किसी अपीलीय/अपर /सिविल/राजस्व भण्डल इत्यादि किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो राजस्व रिकार्ड में पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सिकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30-12-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अनिल कुमार )

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सिकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी:- अनिल कुमार (आर.ए.एस.)

"ग्रामीण सेवा शिविर -2025"

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता .

मुकदमा संख्या:- 428/2025

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा

131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम- 1956

निर्णय दिनांक: 30-12-25

### आदेश

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 3106/भूअ/2025 दिनांक 20/11/25 के द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 मय दरतावेजात नकल जमावन्दी, नकल नक्शा, गुगल मैप, सहमति पत्र जिसमें खातेदारान में से कुछ खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित करवाये गए हैं एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अगिशांषा रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किया है। श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र पत्रांक प0 19(7) राज-5/सम/2025 जयपुर दिनांक 03.09.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये प्रस्ताव व संलग्न दरतावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसका अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व ग्राम साइली पटवार हल्का साइली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7553/3348, 7599/3196 रकबा क्रमशः:- 0.0068, 0.0216 ई० में से जा रहे साइली रूपपुरा उमर सड़क से रूपपुरा कांफड तक तक जाने वाला प्रचलित रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है। सम्बन्धित पटवारी हल्का साइली ने अपनी रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता कई वर्षों से कच्चा/पक्का/मेन्सल सड़क/हमरीकरण चालू होकर सार्वजनिक हित में आना बताया गया है। साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अगिशांषा रिपोर्ट भी पेश की है।

इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 132 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60 व 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 57 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम साइली के कृषि भूमि खसरा नम्बर 7553/3348, 7599/3196 रकबा क्रमशः:- 0.0068, 0.0216 ई०

की भूमि मौके पर चालू रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में वर्णितानुसार कराये एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित/दर्ज खातेदारी भूमियों में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदारान के खाते में ही दर्ज राजस्व रिकार्ड रहेगी। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस उक्त आदेश का भाग रहेंगे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।



न्यायालय मुकदमा जारी किया गया।

(अनिल कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह आदेश आज दिनांक 30-12-25 को मेरे हस्ताक्षर एवं

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)